

कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

पत्रांक:- 1109 दिनांक:- 12.9.19

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :- मौजा-श्रीरामपुर, थाना नं०-48 एवं मौजा-शिखरडीह, थाना नं०-71 में
स्थापित LPG Bottling Plant का विस्तारण हेतु 8.74 हे० (21.60 एकड़)
वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :- वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, जमशेदपुर का पत्रांक 1259 दिनांक
29.08.2019

महाशय,

प्रासंगिक पत्र द्वारा विषयगत परियोजना हेतु प्रस्ताव संख्या FP/JH/IND/33374/
2018 कुल 8.74 हे० वनभूमि अपयोजन हेतु सरायकेला वन प्रमंडल अन्तर्गत AIADA जमशेदपुर
द्वारा allotted पूर्व में अवस्थित बोटलिंग प्लांट विस्तारीकरण के लिए प्रस्ताव Online तथा Hard
Copy की पाँच प्रतियाँ इस कार्यालय में प्राप्त हुई हैं। उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र द्वारा प्राप्त वन
संरक्षक, जमशेदपुर के प्रतिवेदनानुसार प्रस्ताव के संबंध में वस्तुस्थिति निम्नवत् प्रतिवेदित है :-

1. यह परियोजना सरायकेला वन प्रमंडल अन्तर्गत अवस्थित है।
2. प्रयोक्ता अभिकरण हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि० को उनके आवंटित क्षेत्र 25.0
एकड़ में ही LPG, Bottling Plant का विस्तारण हेतु SEIAA, Jharkhand के पत्रांक
EC/SEIAA/2017-18/2051/2017/126 दिनांक 05.06.2018 के द्वारा संशर्त पर्यावरणीय
स्वीकृति दी गई है।
3. पर्यावरणीय स्वीकृतित्यादेश के Specific Conditions के शर्त संख्या-2 यथा "Environment
Clearance Shall be valid subject to clearance of Proposal No. FP/JH/IND/33374/2018
u/s. 2 of the Forest Conservation Act 1980 for diversion of fresh forest land" के आलोक
में मेसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि० के द्वारा वनभूमि क्षेत्र 21.60 एकड़ का
अपयोजन स्वीकृति हेतु वन संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रस्ताव समर्पित किया
गया है।
4. क्षेत्रीय उप निदेशक, झारखण्ड आदित्यपुर प्रक्षेत्र, आदित्यपुर के पत्रांक 555 दिनांक
01.06.2019 हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि० को आवंटित 25.0 एकड़ भूमि में से
21.60 एकड़ वनभूमि के अपयोजन के संबंध में झारखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकार,
आदित्यपुर प्रक्षेत्र को कोई आपत्ति नहीं होने की सूचना दी गई।
5. इस कार्यालय में प्राप्त अभिलेखों के अनुसार M/s AIADA द्वारा अबतक वन संरक्षण
अधिनियम, 1980 के तहत कुल 1200.09 एकड़ वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव समर्पित किया
गया है। उक्त में से 923.12 एकड़ वनभूमि चूँकि 1980 के पूर्व M/s AIADA को
हस्तान्तरित किया गया अतः उसका अन्तिम रूप से अपयोजन किया जा चुका है। शेष
276.97 एकड़ वनभूमि का अपयोजन प्रक्रियाधीन है, जिसके संबंध में पर्यावरण, वन एवं
जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली, भारत सरकार के पत्र संख्या F.No. 8-91/2009-FC.

दिनांक 01.03.2013 एवं 17.02.2015 एवं वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्र संख्या 4717 दिनांक 28.08.2015 द्वारा तीन बिन्दुओं पर पृच्छा की गई है, पृच्छा का निराकरण प्रतिवेदन M/s AIADA से अपेक्षित है।

6. वन प्रमंडल पदाधिकारी सरायकेला के Site Inspection Report एवं वन संरक्षक, जमशेदपुर के Part-III में यह वर्णित है कि प्रस्तावित 8.74 हे० (21.60 एकड़) वनभूमि पूर्व में M/s AIADA द्वारा अपयोजन हेतु प्रस्तावित 276.97 एकड़ (112.13 हे०) वनभूमि का हिस्सा है। वर्तमान में इस पर LPG Bottling Plant स्थापित है, जिसे विस्तारित किया जाना है।
7. प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित वनभूमि की वैधानिक स्थिति एवं रकबा निम्नवत् है :-

क्र० सं०	वन प्रमंडल का नाम	अधिसूचित वनभूमि का रकबा	जंगल-झाड़ी वनभूमि का रकबा	कुल रकबा	वनस्पति घनत्व
1	सरायकेला	8.74	शून्य	8.74	0.3
कुल - 01		8.74	शून्य	8.74	

8. प्रस्ताव के साथ प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विहित प्रपत्र में आवेदन दर्ज है।
9. प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित वनभूमि की विस्तृत विवरणी प्लॉटवार/मौजावार/रकबा निम्नवत् है:- अनु-VII

Details of the Plot issued by AIADA to HPCL LPG Bottling Plant Gamharia

We are mentioning the details of the plot issued by AIADA for putting up LPG Bottling Plant vide land allotment order no. 539/ADA dt.11/4/1998 for 25 acres land.

Village-Shrirampur (Thana no. 48)

Survey Plot No.-	Khata no.	Area(in <i>Acres</i>)	nature of land
887(p)	35	0.01	Raiti
888(p)	56	0.40	Raiti
889(p)	54	0.20	Raiti
890(p)	54	0.15	Raiti
896(p)	5	0.02	Raiti
790(p)	57	6acre.80deci	Forest
791(p)	57	0.20	Forest

Village-Shikhardih(Thana no.71)

Survey Plot No.-	Khata no.	Area(in <i>Acres</i>)	nature of land
64(p)	14	0.67	Raiti
65(p)	22	0.36	Gair Majura
66(p)	1	0.13	Raiti
67(p)	2	0.17	Raiti
68(p)	22	0.32	Gair Majura
69(p)	1	0.09	Raiti
70(p)	2	0.07	Raiti
71(p)	6	0.70	Raiti
72(p)	7	0.11	Raiti
78(p)	21	14acres60deci	Forest

Total area- 25acres

Forest land-21acre 60 decimile.

Gair Majura land-68 decimile,

Raiti land-2acre 72decimile

10. प्रस्ताव के साथ पार्ट-II में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी, सरायकेला वन प्रमंडल का मंतव्य दर्ज है। एवं पार्ट-III में वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, जमशेदपुर का मंतव्य दर्ज है। साथ ही अलग-अलग संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी एवं वन संरक्षक का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है।
11. पार्ट-IV में अधोहस्ताक्षरी का मंतव्य संलग्न है।
12. 1:50,000 स्केल के टोपोशीट पर लोकेशन मैप संलग्न है।

13. प्रस्ताव के साथ मौजा मैप पर प्रस्तावित Bottling Plant का आरेखन दिखाते हुए संलग्न है। अनु-XVI
14. अपयोजन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का Geo referenced/DGPS/CD के साथ मैप संलग्न है। अनु-XVII
15. प्रस्तावित वनभूमि में प्रभावित होने वाले वृक्षों की कुल संख्या 1309 है, जिसमें कोई भी वृक्ष का पातन नहीं होगा। वृक्षों की प्रजातिवार एवं Girth-wise गणना सूची प्रस्ताव के साथ संलग्न है। अनु-XII
16. प्रस्ताव के साथ लागत-लाभ विश्लेषण संलग्न है। अनु-X
17. प्रस्ताव के साथ वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत संबंधित उपायुक्त द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं है। इस हेतु क्षेत्रीय पदाधिकारियों एवं प्रयोक्ता अभिकरण को निदेशित किया जा रहा है प्राप्त होने पर अलग से भेज दिया जायेगा।
18. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा NPV एवं C.A की राशि जमा करने हेतु वचनबद्धता दी गई है। अनु-XX एवं XXI
19. प्रस्तावित वनभूमि के लिए क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु कुल 8.74 हे० दो गुणे 17.48 हे० के विरुद्ध 18 हे० अवकृष्ट वन भूमि का चयन किया गया है, जो निम्नवत् है :-

क्र० सं०	वन प्रमंडल पदाधिकारी का नाम	मौजा का नाम	थाना/थाना नं०	प्लॉट सं०	चयनित अवकृष्ट वनभूमि का रकबा
1	सरायकेला	महादेवपुर पी०एफ०	सरायकेला-97	395 पी०, 409,410, 414,909,1056,1055	18.00 हे०
कुल :-					18.00 हे०

प्रस्ताव के साथ क्षतिपूरक वनरोपण हेतु प्रस्तावित वनभूमि का नक्शा, DGPS, KML file, वन प्रमंडल पदाधिकारी का उपयुक्तता प्रमाण पत्र एवं प्राक्कलन संलग्न है। अनु- XXIV एवं XXIX

20. प्रस्तावित किसी नेशनल पार्क, वन्यप्राणी आश्रयणी, व्याघ्र परियोजना एवं बायोस्फेयर रिजर्व का हिस्सा नहीं है।
21. प्रस्ताव के साथ CWLW, झारखण्ड का मंतव्य प्राप्ति हेतु उनसे अनुरोध किया जा रहा है। प्राप्त होने पर अलग से भेजा जायेगा।
22. प्रस्तावित वनभूमि के अपयोजन हेतु क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा अनुशंसा की गई है, इससे अधोहस्ताक्षरी भी सहमत हैं।
23. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची से संचिका पर अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। तदोपरान्त प्रस्ताव को ऑनलाईन कर Time Line इस पत्र के साथ संलग्न है।

वन संरक्षक, जमशेदपुर से प्राप्त प्रस्ताव की तीन मूल प्रतियाँ भेजते हुए अनुरोध है कि इस परियोजना हेतु कुल 8.74 हे० वनभूमि अपयोजन हेतु स्टेज-I प्राप्ति की दिशा में अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु०:-यथोक्त।

विश्वासभाजन

M. D. 12.9.2019
 प्रधान मुख्य वन संरक्षक सह कार्यकारी निदेशक
 बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

PART -IV

(To be filled in by the Nodal officers or Principal Chief Conservator of Forest or Head of Forest Department)

EXPANSION OF EXISTING LPG BOTTLING PLANT WITH IN THE EXISTING BOUNDARY OF THE ALLOTTED LAND BY AIADA JAMSHEDPUR, JHARKHAND. 8.74 ha.

17. Detailed opinion and specific recommendation of the State Forest Department for acceptance of otherwise of the proposal with remarks.

(While giving opinion, the adverse comments made by concerned Conservator of Forest or Deputy Conservator of Forests should be categorically reviewed critically commented upon) :-

Recommended for diversion of 8.74 ha. Forest land.

Date :- 12.09.2019

Place :- Ranchi.

Signature

VA *12.09.2019*
(SHASHI NANDKEOLYAR)

Nodal Officer
Name & Designation.

*Principal Chief Conservator of
Forest-cum-Executive Director
Wasteland Development Board
Jharkhand, Ranchi*

(Official Seal)